राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा ,जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

अपील संख्या: - 1193/2018

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी**
प्रकाश राज गहलोत रसियावास खुर्द] तहसील-आहोर जालोर , राजस्थान		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं संयुक्त शासन सचिव कार्मिक (क-2) विभाग जयपुर

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 02-04-2018

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।

2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री बृज सुन्दर शर्मा, उप शासन सचिव, डी.ओ.पी. उपस्थित।

3. मैंने प्रत्यर्थी पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।

4. अपीलार्थी ने आवेदन दिनांक 2-5-17 प्रमुख शासन सचिव, राज्यपाल सचिवालय को प्रस्तुत कर प्लेसमेंट ऐजेन्सी एवं संविदाकर्मी पद पर सेवा दे चुके कर्मियों के सम्बन्ध में सुझाव, ज्ञापन प्रेषित किये गये थे के सम्बन्ध में कतिपय सूचना चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपीलीय निर्णय दिनांक 22-6-17 से असंतुष्ट रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

5. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने निवेदन किया कि अपीलार्थी का सूचना का आवेदन राज्यपाल सचिवालय द्वारा पत्र दिनांक 8-5-17 से कार्मिक विभाग को अंतरित कर दिया गया था। कार्मिक विभाग द्वारा तद्नुसार प्रथम अपील भी दिनांक 5-6-17 को निर्णित कर खारिज कर दी गई एवं अपीलार्थी को पत्र दिनांक 6-6-17 से संसूचित कर दिया गया। यह भी निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा एक अन्य आवेदन मुख्य मंत्री कार्यालय में भी प्रेषित किया गया था उसे भी अन्ततः वित्त (नियम) विभाग को प्रेषित कर दिया गया था एवं वित्त (नियम) विभाग ने पत्र दिनांक 2-6-17 से अपना विनिश्चय/सूचना अपीलार्थी को प्रेषित कर दी थी।

6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 27-2-18 मय संलग्नक प्रस्तुत किया है, प्रति अपीलार्थी को भी पृष्ठांकित कर उपरोक्त पैरा संख्या 5 में अंकित कथन की पुष्टि की है।

7. पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा एक ही आवेदन से दो विभिन्न राज्य लोक सूचना अधिकारियों से सूचना की मांग की गई है। अन्ततः

वित्त विभाग द्वारा अपीलार्थी को पत्र दिनांक 2-6-17 से विनिश्चय/सूचना का प्रेषण कर दिया गया है।

8. हस्तगत अपील में अभिलेखानुसार सूचना प्रदत्त है। अपील में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण अपील का खारिज किया जाना समीचीन है।

9. अस्तु, वर्तमान अपील खारिज की जाती है।

10. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

11. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त